न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 21/2021

श्री नवाव अली राठौड एडवोकेट राज. उच्च न्यायालय, जयपुर चेम्बर नं. 133 ई ब्लाक हाई कोर्ट विल्डिंग जयपुर राज.

——अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह वगैरह

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22–7–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23–11–2020 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1 दिनांक 15.10.2020 को स्थानीय लियाकत अली द्वारा दि गई शिकायत के सन्दर्भ में नगर पालिका टोडारायसिहं कि भूमि एवं चरागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं बिना अनुमति के किये जा रहे व्यावसायिक निर्माण को रोके जाने बाबत् क्या कार्यवाही कि गई है। उस कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली।

2 उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह, तसहीलदार टोडारायसिंह एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा लियाकत अली टोडारायसिंह की शिकायत पर जो कार्यवाही अमल में लाई जा रही है उस कार्यवाही कि सम्पूर्ण पत्रावली कि प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा पत्र क्रमांक 983/आरटीआई दिनांक 19–7–2021 से जवाब प्रेषित किया है, किन्तु उनके द्वारा प्रेषित जवाब से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदक को तहसीलदार द्वारा या उनके द्वारा [illegible] किया गया है या सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने आवेदक के प्रार्थना पत्र द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट द्वारा चाही जा रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:36:37 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय में उपलब्ध व सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने योग्य सूचना नियमानुसार निर्णय प्राप्ति के 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलान्ट नगर पालिका टोडारायसिंह से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु पृथक से सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:37 IST
Reason: SelfAttested